



# जालोर विकास समिति, जालोर

## जालोर महोत्सव-2021

### टेण्डर सूचना

जालोर महोत्सव – 2021 का आयोजन दिनांक 15 से 17 फरवरी, 2021 तक किया जाना है हर वर्ष की भाँति जिला मुख्यालय पर जालोर स्टेडियम प्रांगण में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। आयोजन कमेटी द्वारा निम्न व्यवस्था के लिए टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.सं	कार्य का नाम	अवधि
01	मेला कार्य जिसमें विभिन्न दुकाने, शॉपिंग स्टॉल्स, झुले अन्य मनोरंजन आइटम इत्यादि एवं फुड कोर्ट (खान पान आदि) (चाट, साउथ इंडियन, राजस्थानी, खाना व व्यंजन आदि)	दि. 15 से 21 फरवरी, 2021

#### नियम व शर्तें:-

- उपर्युक्त दर्शाये कार्य में निविदादाता द्वारा आयोजन कमेटी को टेक्स के अलावा शुद्ध देय राशि का उल्लेख किया जाना होगा। कार्य हेतु विद्युत एवं जल व्यवस्था निविदादाता की होगी। टेण्डरकर्ता को टेण्डर के साथ रू. 50000/- (रूपये पच्चास हजार मात्र) "जालोर विकास समिति" के नाम से जालोर पर देय डिमाण्ड ड्राफ्ट सिक्क्यूरिटी राशि के रूप में जमा कराना होगा। टेण्डर फाइनल होने पर संबंधित टेण्डरकर्ता को टेण्डर मूल्य का 25% चैक द्वारा अविलम्ब भुगतान करना होगा। शेष 25% 11 फरवरी, 2021 तक एवं शेष समस्त राशि 14 फरवरी, 2021 तक देना होगा।
- मेला आयोजन स्थल जालोर में शाह पूंजाजी गेनाजी क्रीडा स्थल (जिला स्टेडियम) होगा।
- उपर्युक्त टेण्डर में लागू टेक्स, दुर्घटना बीमा प्रीमियम एवं आकस्मिक खर्च शामिल नहीं होंगे। इस हेतु सम्पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।
- टेण्डर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 08 फरवरी, 2021 सोमवार को दोपहर 3 बजे तक होगी। टेण्डर सीलबंद लिफाफे में निम्न पते पर पहुँच जाना चाहिए:- श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी एवं मुख्य समन्वयक, जालोर महोत्सव, 2021, उपखण्ड कार्यालय, कलेक्टर परिसर, जालोर 343001। टेण्डर उपखण्ड कार्यालय, जालोर में इसी दिन सांय 5 बजे खोले जाएंगे। आवश्यक होने पर नेगोसिएसन करवाया जा सकता है।
- किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अंतिम निर्णय श्रीमान् जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जालोर विकास समिति महोदय का रहेगा जो सभी को अनिवार्य रूप से मान्य होगा।
- टेण्डर प्रपत्र एवं संबंधित कार्य की सम्पूर्ण जानकारी के लिए श्री तरुण सिद्धावत मोबाइल नम्बर 9782738100 से सम्पर्क किया जा सकता है।

मुख्य समन्वयक  
जालोर महोत्सव 2021

# पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन एवं जालोर विकास समिति

के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित

“जालोर महोत्सव-2021”

(15 फरवरी से 17 फरवरी 2021)

निविदा शर्तें

## स्टेडियम प्रांगण में विभिन्न शॉपिंग दुकाने, शॉपिंग स्टॉल्स –

शॉपिंग मेले में स्वीकृत निविदादाता को प्रमुखतः घर गृहस्थी की उपयोगी एवं कलात्मक वस्तुएं, फर्निचर, कारपेट, हेण्डलूम सामान, होजरी कपडे, आर्टिफिशियल ज्वैलरी, जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स, चश्मा, घडी, हैण्डबैग, बच्चों के खिलोने, स्पोर्ट्स आईटम, किचन उपकरण, होम डेकोरेशन इत्यादि की विभिन्न प्रकार की 250 से 300 दुकाने लगानी होगी । किसी भी प्रकार का गैर कानूनी वस्तु का बेचान अथवा व्यापार पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा ।

## फूड कोर्ट –

फूड कोर्ट में निविदादाता को विभिन्न प्रकार के व्यंजन जिसमें शुद्ध शाकाहारी साउथ इण्डियन, पंजाबी, राजस्थानी, चाइनीज, स्नैक्स आइसकीम एवं पेय पदार्थ इत्यादि की स्टॉल लगानी होगी ।

## झूले एवं अन्य मनोरंजन के संसाधन –

झूले एवं अन्य मनोरंजन के संसाधन में निविदादाता को विभिन्न प्रकार के झूलों में बच्चों के लिए बोटिंग, आसमान छुते झूले, रोलर कोस्टर सहित सुरक्षित झूले लगाने होंगे ।

## निविदा की शर्तें :-

1. निविदादाता को “शॉपिंग केम्पस” के लिए ले आउट स्थल आयोजन समिति द्वारा निर्धारित करके दिया जाएगा। मेला आयोजन 15.02.2021 से 21.02.2021 तक किया जाएगा। मेला प्रबंधन के लिए स्टेडियम मैदान की उपलब्धता 11.02.2021 से करवा दी जाएगी।
2. निविदादाता को स्टेडियम के गेट संख्या 2 के अन्दर की तरफ 10' गुणा 15' साईज की कुल 8 टेंट से निर्मितशुदा दुकानें मय विद्युत कनेक्शन निर्धारित स्थान पर आयोजन समिति को निःशुल्क उपलब्ध करवानी होगी।
3. निविदादाता द्वारा दी गई दर (सभी वर्गीकृत आईटमों की दरों को सम्मिलित करते हुए) एकमुश्त देनी होगी, किन्तु इसमें टैक्स सम्मिलित नहीं हो। अर्थात् टैक्सेज चुकाने की सारी जवाबदेही अतिरिक्त रूप से निविदादाता की रहेगी ।
4. उपर्युक्त दर्शाये कार्य में निविदादाता द्वारा आयोजन कमेटी को टैक्स के अलावा शुद्ध देय राशि का उल्लेख किया जाना होगा। कार्य हेतु विद्युत एवं जल व्यवस्था निविदादाता स्वयं की होगी।

5. निविदादाता को निविदा के साथ रू. 50000/- (रूपये पचास हजार मात्र) का "जालोर विकास समिति" के नाम से जालोर पर देय डिमाण्ड ड्राफ्ट सिक्यूरिटी राशि के रूप में जमा कराना होगा । निविदादाता के पक्ष में निविदा स्वीकृत होने पर स्वीकृत निविदा के मूल्य का 25% चैक द्वारा अविलम्ब भुगतान करना होगा । शेष 25% 11 फरवरी, 2021 तक एवं शेष राशि 14 फरवरी, 2021 तक देनी होगी । राशि निश्चित दिन तक जमा नहीं कराये जाने पर निविदा निरस्त का समस्त अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित रहेंगे ।
6. उच्चतम राशि के निविदादाता की निविदा का अनुमोदित होते ही जमा करवाई प्रथम 25 प्रतिशत राशि के बाद शेष राशि में से 25 प्रतिशत राशि 11.02.2021 तक जमा नहीं करवा पाने की स्थिति में उस निविदा को निरस्त कर जमा करवाई 1/4 राशि को जब्त करते हुए पश्चात् अगली उच्च दर वाली निविदा को अनुमोदित कर दिया जाएगा । स्वीकृत निविदादाता को उपर्युक्त अनुसार राशि निश्चित तिथि पर देय चैक द्वारा चुकानी होगी । भुगतान में चुक होने पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित रहेगा । प्रथम स्वीकृत निविदा निरस्त होने पर द्वितीय स्वीकृत निविदा को कार्य आदेश प्रदान किया जा सकेगा । प्रथम एवं द्वितीय निविदा के अन्तर की राशि प्रथम स्वीकृत निविदादाता द्वारा जमा कराई रकम से भरपाई की जायेगी जिस हेतु वह बाध्य होगा ।
7. निविदादाता को उक्त अवधि के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा एवं अपने स्वयं की D.G. Set की व्यवस्था करनी होगी ।
8. निविदादाता को स्वयं के स्तर पर सुरक्षा नियमों की पालना करनी होगी एवं सुरक्षाकर्मियों और सुरक्षा उपकरणों (अग्निश्मन यंत्र सहित अन्य) माकूल व्यवस्था करनी होगी ।
9. निविदादाता "शॉपिंग केम्पस" में वैरायटी शो, जुंआ, चकरी, घातक श्रेणी के प्रदर्शन एवं ऐसे आयोजन, जो आदर्श मेले की श्रेणी में विधि मान्य नहीं है उन्हें सम्मिलित करने की अनुमति नहीं होगी ।

10. निविदादाता को आवंटित परिसर में मेले, खाद्य पदार्थ एवं झूलों इत्यादि में सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता की होगी । किसी भी दुर्घटना की स्थिति में संबंधित पक्षकारों को क्षतिपूर्ति की बाध्यता रहेगी ।
11. निविदादाता को "शॉपिंग केम्पस" को लेकर शासन द्वारा प्रवर्तित सभी कानूनों की पालना करनी आवश्यक होगी ।
12. अनुमोदित निविदादाता एवं आयोजन समिति के बीच कार्यक्रम क्रियान्वयन के किसी बिंदु को लेकर कोई विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होती है तो श्रीमान् जिला कलेक्टर जालोर का निर्णय अंतिम रूप से मान्य रहेगा ।
13. बिना कारण बताए अधिकतम निविदादाता की निविदा निरस्त करने का अधिकार समिति में निहित रहेगा ।
14. मेला कार्य एवं फूड कोर्ट के निविदादाता को मेला समाप्ति पश्चात स्टेडियम प्रांगण की सफाई के मानदण्ड की सख्ती से पालना करनी होगी । मेला समाप्ति पश्चात ग्राउण्ड सफाई की जिम्मेवारी भी उनकी रहेगी, अन्यथा सिक्यूरिटी राशि जब्त कर दी जायेगी ।
15. फूड कोर्ट के लिए निश्चित स्थानों पर फूड स्टॉल लगानी होगी । फूड के लिए स्वास्थ्य संबंधी सभी वैधानिक स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के मानदण्ड पूरे करने अनिवार्य हैं । खाद्य पदार्थ पकाने या बनाने में ईंधन प्रयोग के लिए पूर्णतया वैधानिक नियमों की पालना करनी अनिवार्य होगी । किसी भी प्रकार के एडल्टरेशन इत्यादि के लिए निविदादाता जिम्मेवार होगा । निविदादाता द्वारा लगाई गई स्टॉलों में गुणवत्तापूर्ण वैरायटी नहीं होने पर समिति द्वारा अलग से फूड स्टॉल लगवाई जा सकती हैं ।
16. कोविड महामारी के संबंध में केन्द्र/राज्य एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी नवीनतम गाईडलाइन की पूर्ण पालना सुनिश्चित किए जाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी ।
17. अनुमोदित निविदादाता द्वारा NSJ रु. 500/- पर संविदा निष्पादन पश्चात ही कार्य अनुमति प्रदान की जा सकेगी ।
18. आकस्मिक परिस्थितियों अथवा कोविड महामारी के मध्यनजर सरकारी गाईडलाइन की पालना में मेला निरस्त करने का अधिकार श्रीमान् जिला कलेक्टर, जालोर के पास

सुरक्षित रहेगा । निविदादाता इस हेतू किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकेगा ।

19. निविदादाता को फर्म एवं फर्म के समस्त भागीदारों के पेन संख्या एवं आधार कार्ड की स्व- प्रमाणित प्रतिलिपि निविदा के साथ सलंगन करनी होगी ।
20. न्यूनतम निविदा राशि प्राप्त नहीं होने की दशा में निविदा प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित रहेगा अथवा निविदा तिथि को आगे बढ़ाई जा सकेगी ।
21. किसी भी विधिक विवाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्राधिकार जालोर रहेगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

पता:.....

.....

.....

मोबाईल नं० .....

## निविदा शर्तों के प्रति सहमति विषयक प्रमाण-पत्र

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदादाता होने के नाते निविदा की सम्पूर्ण शर्तों का विगतवार अध्ययन मेरे द्वारा कर दिया गया है । इन शर्तों की पालना हेतू निविदादाता वचन बद्ध रहेगा ।

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर

### निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर

निविदादाता का नाम .....	निविदा के लिए प्रस्तुत राशि (टेक्स के अतिरिक्त)
पूरा पता .....	अंको में .....
.....	शब्दों में .....
मोबाइल नम्बर .....	.....
ई-मेल .....	

अमानत राशि का ब्यौरा :

डी.डी./ बैंकर्स चैक नम्बर :

दिनांक :

राशि :

बैंक का नाम :

निविदादाता के हस्ताक्षर